(1)

कार्यालय निदेशक प्राशि एवं पं.राज (प्राशि) विभाग राजस्थान बीकानेर

क्रमांक–शिविरा/प्रारं/शैक्षिक/वै.शि.प्र./2019–20/19810/प्रवेशोत्सव/प्रथम चरण/20 दिनांक–18/04/19

संयुक्त निदेशक
स्कूल शिक्षा .... (समस्त)

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
स्कूल शिक्षा .... (समस्त)

जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)
प्रारंभिक शिक्षा
.... (समस्त)

विषय–नामांकन वृद्धि, अनामांकित एवं ड्राप आउट बच्चों को विद्यालय से जोड़ने हेतु प्रवेशोत्सव अभियान के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश ।

प्रसंग–आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर का पत्रांक–समसा/जय/वै.शि./प्रवेशोत्सव/2019–20/592 दि. 16.04.19 ।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासांगिक पत्र के संबंध में लेख है कि राज्य में 0 से 18 वर्ष तक के समस्त बालक बालिकाओं को चिन्हित कर आंगनबाड़ी एवं विद्यालयों से जोड़ा जाना है । इसके लिये आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये हैं, जिसकी प्रति संलग्न है । आपको निर्देशित किया जाता है कि संलग्न दिशा निर्देशों के अनुरूप अपने अधीनस्थ समस्त अधिकारी/कर्मचारी को निर्देशित करें कि वे नामांकन वृद्धि, अनामांकित एवं ड्राप आउट बच्चों को विद्यालय से जोड़ने हेतु कार्ययोजना बनाकर कार्यवाही सुनिश्चित करें ।

प्रवेशोत्सव कार्यक्रम निम्न दो चरणों में संचालित किया जायेगा–

प्रथम चरण– दिनांक 26.04.19 से 09.05.19 तक

द्वितीय चरण– ग्रीष्मावकाश समाप्ति पर द्वितीय चरण प्रारंभ किया जायेगा, जिसकी तिथि पृथक से सूचित की जायेगी ।

संलग्न दिशा–निर्देश अनुरूप कार्ययोजना बनाकर उक्त चरणों में यह सुनिश्चित किया जावे कि आंगनबाड़ी एवं विद्यालय जाने योग्य आयु का कोई भी बालक–बालिका अनामांकित न रहे । साथ ही विद्यालय स्तर पर 0 से 18 वर्ष तक के सभी बालक–बालिकाओं का रिकॉर्ड संधारित किया जावे ।

संलग्न–उपरोक्तानुसार ।

निदेशक
प्राशि एवं पं.राज (प्राशि) विभाग
राजस्थान–बीकानेर

www.rajteachers.com

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. निजी सचिव, आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर ।
2. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान ।
3. निजी सचिव, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर ।
4. निजी सचिव, निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
5. संपादक, शिविरा पत्रिका ।

निदेशक
प्राशि एवं पं.राज (प्राशि) विभाग
राजस्थान–बीकानेर